



टी बोर्ड भारत

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी
कोलकाता - 700001

दिनांक: 11.12.2023

कार्यालय आदेश सं. 28/2023

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि टी बोर्ड उपनियम, 1955, उपनियम 45 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उपाध्यक्ष, टी बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से श्रीमती रजनीगंधा सील नस्कर, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) और बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता की वित्त शाखा से संबद्ध श्री शांतनु गुहा, सहायक लेखा अधिकारी, के अलावा श्री ज्योति अर्नव गोस्वामी और श्रीमती टिंकू राँय, सहायक लेखा अधिकारी को योजना, गैर-योजना, टीएसी/एलटीसी, चिकित्सा, जीपीएफ आदि से संबंधित सभी बिलों की वास्तविक स्वीकृत राशि के चेक, पीएफएमएस परामर्श, एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए बैंक परामर्श पर हस्ताक्षर प्राधिकार सौंपे हैं और यह अगले आदेश तक लागू रहेगा।

हालाँकि, कोई भी ऐसे कर्तव्यों में भाग लेने के लिए किसी भी वित्तीय लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।


(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव (प्रभारी)

वितरण :-

1.	श्रीमती रजनीगंधा सील नस्कर, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) वित्त शाखा, मुख्यालय, कोलकाता	कृपया अनुपालन हेतु.
2.	श्री शांतनु गुहा, सहायक लेखा अधिकारी, वित्त शाखा, मुख्यालय कोलकाता	कृपया अनुपालन हेतु.
3.	श्रीमती टिंकू राँय, सहायक लेखा अधिकारी, वित्त शाखा, मुख्यालय कोलकाता	कृपया अनुपालन हेतु.
4.	श्री ज्योति अर्नव गोस्वामी, सहायक लेखा अधिकारी, वित्त शाखा, मुख्यालय कोलकाता	कृपया अनुपालन हेतु.
5.	वि. स. एवं मु. ले. अ.	
6.	लेखा अधिकारी	
7.	उपाध्यक्ष के सचिव/सचिव एवं वि स एवं मु ले अ के निजी सहायक	
8.	आई टी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
9.	टी बी ई ए	
10.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियां सहित।

संदर्भ. मिसिल सं. वित्त/नकद/बैंक मामला/भाग- II